

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110016

फा. सं. 14-5/2019-20/जीए

दिनांक: 12 अप्रैल, 2022

परिपत्र

विषय :- सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के संबंध में।


उपरोक्त विषय पर यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, संस्थान परिसर में निम्नलिखित का पालन करने का निर्णय लिया गया है:

- 1) कैंटीनों, संस्था परिसरों और छात्रावासों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध।
- 2) सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे संस्थान में गैर-जैव-निम्नीकरणीय प्लास्टिक की वस्तुओं को लाने से बचें।
- 3) छात्रों से अनुरोध है कि वे अपने घर-परिवारजनों को प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करें और अपने घरों को 'प्लास्टिक मुक्त' बनाएं।

यूजीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की एक प्रति भी प्रसार और व्यापक प्रचार के लिए नीपा की वेबसाइट पर अपलोड की गई है।

प्लास्टिक के उपयोग को व्यवस्थित रूप से प्रतिबंधित करके और इसे उपयुक्त पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के साथ बदलकर परिसर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए सभी संकाय/कर्मचारियों/छात्रों से भागीदारी का अनुरोध किया जाता है।

सभी संबंधितों को दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।



(डॉ. डी.एस. ठाकुर)

प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)

प्रति:-

1. कुलपति कार्यालय
2. कुलसचिव कार्यालय
3. छात्र प्रकोष्ठ
4. सिस्टम एनालिस्ट, आईटी सेल- वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए - स्टाफ
5. भोजनालय